पत्र संख्या– आई0टी0 ई–वे बिल –2017–18 / 1407 / 1718056 वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0–अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: नवम्बर, 28 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या–क0नि0–2–1014 / ग्यारह–9(52) / 17 उत्तर प्रदेश अधि0–1–2017 आदेश (31)–2017 दिनांक 21–07–2017 द्वारा प्रदेश में ई–वे बिल व्यवस्था लागू की गयी थी जिसे मुख्यालय के परिपत्र संख्या– 1028 दिनांक 27–07–2017 द्वारा प्रभावी दिनांक 16–08–2017 से लागू किया गया था। शासन द्वारा विज्ञप्ति संख्या–क0नि0–2–1158 / ग्यारह–9(52) / 17–उ0प्र0 अधि0–1–2017–आदेश(38)–2017 दिनांक 18–08–2017 से उक्त विज्ञप्ति को संशोधित करते हुए निम्न व्यवस्था की गयी है:

प्रान्त बाहर से माल लाये जाने की स्थिति में 5000 / – रूपये या उससे अधिक के कर योग्य माल के स्थान पर 50000 / –रूपये या उससे अधिक से माल लाये जाने पर ई–वे बिल 01 का प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के भीतर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान तक 1 लाख रूपये या उससे अधिक के स्थान पर 50000 / –रूपये या उससे अधिक मेंथा आयल व मेंथाल एवं डी0एम0ओ0 / सुपाड़ी / लोहा तथा इस्पात तथा सभी प्रकार के खाद्य तेल व वनस्पति घी के परिवहन पर ई–वे बिल 02 का प्राविधान किया गया है। ई–कामर्स आपरेटर अथवा उनके द्वारा अधिकृत परिवाहकों /कुरियर अभिकर्ताओं के द्वारा प्रदेश के बाहर के किसी स्थान से 50000 / –रूपये या उससे अधिक मूल्य के कराधेय माल का किसी एक व्यक्ति को परिदान हेतु परिवहन किये जाने की स्थिति में ई–वे बिल 03 का प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाहर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को ले जाने की स्थिति में 50000 / – रूपये या उससे अधिक कर योग्य माल के परिवहन के लिये टी0डी0एफ0–01 का प्राविधान किया गया है।

उक्त व्यवस्था के अनुक्रम में विभागीय पोर्टल पर ई–वे बिल 01 / 02 / 03 तथा TDF 01 का माड्यूल आरम्भ किया गया। उक्त माड्यूल में जी0एस0टी0एन0 द्वारा उपलब्ध कराये गये पंजीकृत व्यापारियों के GSTIN लीगल नेम पंजीकृत मोबाइल नम्बर तथा पंजीकृत ई–मेल के आधार पर विभागीय पोर्टल पर व्यापारियों का ई–वे बिल पंजीयन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। कतिपय व्यापारियों द्वारा यह शिकायत की गयी है कि जी0एस0टी0एन0 में पंजीकरण के बाद भी उनका जी0एस0टिन0 ई–वे बिल के रजिस्ट्रेशन हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है जिसके कारण व्यापारियों को माल के परिवहन में कठिनाईयॉ उत्पन्न हो रही हैं। उक्त समस्या के कम में ई–वे बिल में पंजीकरण हेतु डाटा विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित कराने हेतु निम्न प्रकिया निर्धारित की जाती है।

(i) व्यापारी द्वारा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध ई–वे बिल / टी0डी0एफ0 के लिंक पर Click करके Application for availability of GSTN for e-way bill Registration के लिंक पर Click किया जायेगा।

(ii) पोर्टल पर उपलब्ध Entry screen में व्यापारी द्वारा GSTIN Firm का लीगल नेम, जी0एस0टी0एन0 में पंजीकृत मोबाइल नम्बर तथा जी0एस0टी0एन0 में पंजीकृत ई–मेल, पंजीकृत फर्म की लोकेशन आदि कर निर्धारण कार्यालय को अंकित किया जायेगा।

(iii) व्यापारी द्वारा मोबाइल नम्बर अंकित करने पर मो0नम्बर में प्राप्त OTP आदि पंजीकृत ई–मेल अंकित करने पर प्राप्त OTP को अंकित करते हुए Verify करना अनिवार्य होगा।

(iv) व्यापारी द्वारा ऑनलाइन दिया गया उक्त आवेदन सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी की लॉगिन पर उपलब्ध हो जायेगा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जी0एस0टी0 पोर्टल GST.gov.in पर उपलब्ध Search Tax payer link के माध्यम से व्यापारी की सूचना का सत्यापन किया जायेगा तथा इसके पश्चात ही व्यापारी को ऑनलाइन अनुमति प्रदान की जायेगी। यदि व्यापारी द्वारा उपलब्ध सूचना यदि जी0एस0टी0एन0 में उपलब्ध सूचना में अन्तर पाया जाता है तो व्यापारी का आवेदन Reject किया जायेगा।

(v) व्यापारी के ऑनलाइन आवेदन के Approve या Reject होने की स्थिति में व्यापारी के पंजीकृत ई–मेल पर ई–मेल प्रेषित हो जायेगी।

उक्त व्यवस्था का समुचित प्रचार–प्रसार करते हुए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

28/11/17

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।